*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक 15 / एम 1–52 / 2013
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सुधीर कुमार सिंह
अवर सचिव
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2014

विषयः केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत राज्यांश की राशि कुल रूपये 4,00,00,000 / – (चार करोड़) मात्र एवं केन्द्रांश की राशि कुल रूपये 7,40,00,000 / – (सात करोड़ चालीस लाख) अर्थात कुल रू0 11,40,00,000 / – (ग्यारह करोड़ चालीस लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजनान्तर्गत राज्यांश की राशि कुल रूपये 4,00,00,000 / – (चार करोड़) मात्र एवं केन्द्रांश की राशि कुल रूपये 7,40,00,000 / – (सात करोड़ चालीस लाख) अर्थात कुल रू0 11,40,00,000 / – (ग्यारह करोड़ चालीस लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 65 : 35 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर एक राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् का भी गठन किया जा चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केन्द्रांश मद में कुल रूपये 7,40,00,000 / – (सात करोड़ चालीस लाख) तथा राज्यांश के मद में कुल रूपये 4,00,00,000 / – (चार करोड़) मात्र का प्रावधान है। केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि समेकित रूप से कुल रू0 11,40,00,000 / – (ग्यारह करोड़ चालीस लाख) मात्र होती है।

3. यह योजना राज्य में उच्चत्तर शिक्षा के विकास हेतु नई योजना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में प्रावधानित राशि राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् के कार्यालय के स्थापना एवं इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने पर व्यय की जाएगी। राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् समीक्षोपरांत आवश्यकतानुसार इसे अन्य मद में व्यय कर सकेगी।

4. केन्द्रांश की राशि का व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लधुशीर्ष – 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या–21 –उप शीर्ष–0223 –राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान विपत्र कोड – पी 2202031020223– विषय शीर्ष–3105, सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण के एवं राज्यांश की राशि का व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लधुशीर्ष – 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या–21 –उप शीर्ष–0323 –राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान विपत्र कोड – पी 2202031020323– विषय शीर्ष–3105, सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत चालु वित्तीय वर्ष 2014–15 में होगा।

5. राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा की जाएगी तथा उसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराया जाएगा। सचिव, राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् द्वारा विहित प्रपत्र (Form BTC-27 B) में उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/एम 1–52/2013 में 254/प0 पर दिनांक 23.05.2014 को हुई योजना प्राधिकृत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय तथा पृष्ठ 45/टि0 पर दिनांक 03.06.2014 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/एम 1–52/2013 में दिनांक 17.06.2014 को पृष्ठ 47/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

9. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के तहत होगी।

10. भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक तथा राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इसके खर्च के लेखा का अंकेक्षण करें।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–52/2013 08 पटना, दिनांक 23/6/2014

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ सचिव, राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्, पटना/ निदेशक, उच्च शिक्षा/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/15

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
S Singh